RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-03
March-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का एक अध्ययन

[1]उमादत्त त्रिवेदी; [2]डॉ.मनीष भटनागर

[1]पी.एच.डी (शोधार्थी) शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, (मान्य विश्वविद्यालय) लाडनूँ ,राजस्थान।
[2]सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, (मान्य विश्वविद्यालय) लाडनूँ ,राजस्थान।

उद्देश्य :–

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य शिक्षक–शिक्षार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या के प्रति संवेदनशीलता जागृति कार्यक्रमों की संचेतना का अध्ययन करना है। आज देश के प्रत्येक क्षेत्र में लैंगिक असमानता व कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता है। लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं में पुरूषों के प्रति हीन भावना का विकास होता है, जिससे महिलाओं में मानसिक विकृति पैदा होती है। लैंगिक असमानता एवं कन्या भ्रूण हत्या के कारण समाज व देश का विकास प्रभावित होता है तथा ऐसे कृत्यों से मानवता शर्मसार होती है। इसलिये शोधार्थी ने इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक संक्षिप्त प्रयास किया है।

प्रस्तावना :–

नारियों के बारे में वेदों में कहा गया है कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात् जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहीं देवता का निवास होता है। लैंगिक समानता का तात्पर्य है स्त्री व पुरूष को समाज में अवसरों व अधिकारों का समान होना तथा लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाना। ऐसे में लैंगिक समानता तब ही सम्भव है जब समाज न तो पुरूष प्रधान हो और ना ही महिला प्रधान अर्थात् समाज में पुरूष व महिला होना न लाभ हो और न ही हानि। लैंगिक समानता पर आधारित दृष्टिकोण उस हानि की पहचान करवाते हैं जिससे महिलाएं ग्रसित होती है तथा यह सुनिश्चित करते है कि महिलाओं को सामाजिक लाभों तथा साथ ही सामाजिक उतरदायित्वों का उचित हिस्सा प्राप्त हो। अतः यदि प्रजातंत्र को वास्तविक स्वरूप देता है तो हमें एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देना होगा, जिसके द्वारा इस देश में महिला व पुरूष एक समान हो तथा देश के विकास में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से भागीदार बने।

लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या :–

प्राचीन भारत एवं आधुनिक भारत पर यदि सूक्ष्मता से दृष्टिपात किया जाए तो हम पायेगे की ''सर्वजन समभाव की भावना धीरे–धीरे लुप्त होती जा रही है। समाज धीरे धीरे पुरूष प्रधानता गृहण करता जा रहा है तथा स्त्रियाँ देश व समाज में उपेक्षा का शिकार बनती जा रही है। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में पुरूषों का अधिपात्य बढ़ने के साथ–साथ महिलाएं पिछड़ रही है तथा इसके कारण महिलाएं केवल भोग का एक संसाधन मात्र बनकर रह गयी है। पितृसतात्मक प्रवृति तथा पुरूष प्रधानता के कारण समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों को भी पैर पसारने के उचित अवसर मिल रहे है जिससे देश का लिंगानुपात भारी संख्या में गिर एवं बढ़ रहा है।

शिक्षा प्राप्त करने हेतु जिस प्रकार पुरूषों को प्राथमिकता दी जाती है, उन्ही के अनुरूप महिलाओं को भी बढ़–चढ़कर शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना चाहिये। जिससे वे अपनी शिक्षा, सृजनशीलता व आत्म सम्प्रत्यय का उचित विकास कर सके तथा जिसके कारण समाज व राष्ट्र के जीवन में अभूतपूर्व वांछनीय परिवर्तन ला सके।

लैंगिक समानता :–

प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सही थी, इसके प्रमाण उस समय की महिला विद्वषियों (ज्ञानी महिलायें) का होना है। लेकिन धीरे धीरे भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा शोचनीय होती चली गयी और वर्तमान समय में स्त्रियाँ वर्षों से शोषण का शिकार है।

लैंगिक समानता का अर्थ :–

लैंगिक समानता का अर्थ है स्त्रियों तथा पुरूषों में लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार व अवसर प्रदान किये जाए ताकि समाज को इनकी क्षमताओं का लाभ मिल सके। पुरूषों के समान महिलाओं को भी सामाजिक लाभों तथा साथ ही सामाजिक उतरदायित्वों का उचित हिस्सा प्राप्त हो, जैसे न्याय के समक्ष समान व्यवहार, सामाजिक व्यवस्थाओं तक बराबर पहुँच तथा समान मात्रा के कार्य के निष्पादन के लिए समान वेतन।

लैंगिक समानता की आवष्यकता :–

भारतीय समाज में लैंगिक समानता की आवश्यकता निम्न प्रकार से है–

1. मानवीय संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए।
2. प्रजातंत्र की सफलता के लिए।
3. मानवाधिकारों की रक्षा के लिए।
4. प्राकृतिक संतुलन की रक्षा के लिए।
5. भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए।
6. महिलाओं में आत्मविश्वास के विकास के लिए।
7. अच्छे पारिवारिक सम्बन्धों के लिए।
8. समाज को व्यवस्थित बनाये रखने के लिए।
9. देश के सर्वांगीण विकास के लिए।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

समाज रूपी गाड़ी को चलाने के लिए उसके दो समान पहिए महिला व पुरूष की आवश्यकता होती है तथा जब समाज में महिला तथा पुरूष दोनों समान रूप से सशक्त होंगे तब ही एक सशक्त समाज व सशक्त राष्ट्र की संकल्पना की जा सकती है।

दिल के बहलाने का सामान न समझा जाये,
मुझको अब इतना भी आसान न समझा जायें।
मैं भी बेटो की तरह जीने का हक मांगती हूँ
इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाये।
अब तो बेटे भी हो जाते है घर से रूकसत
सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाये।।

–रेहाना रूही

अतः स्पष्ट है कि लैंगिक समानता वर्तमान समय की मांग है। पुरूषों के साथ–साथ स्त्रियों की योग्यताओं का लाभ भी समाज को मिलना चाहिये।

<u>लैंगिक समानता के उपाए :–</u>

1. जनसंचार माध्यमों द्वारा लैंगिक समानता के लिए जागरूकता पैदा करना।
2. मजबूत व स्थाई कानून निर्माण कर तथा उन्हे लागू करना।
3. समय–समय पर समाज सुधार कार्यक्रमों का आयोजन।
4. महिला सशक्तिरण कार्यक्रम चलाना।
5. सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के परस्पर सहयोग द्वारा।
6. मुस्लिम समुदाय की सोच में परिवर्तन।
7. शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार द्वारा।

<u>कन्या भ्रूण हत्या :–</u>

भारत में पुत्र जन्म को सदैव महत्व दिया गया है कन्या को जन्म देने के बाद मार दिया जाता था। आजकल आर्युविज्ञान की प्रगति के कारण प्रसव से पूर्व ही लिंग परीक्षण करवाकर पुत्र की इच्छा रखने वाले माता पिता भ्रूण की ही हत्या करवा देते है। समाज व सरकार इस बात पर चिंतित है कि 2011 की जनसंख्या में महिला अनुपात प्रति हजार पर गिरता ही जा रहा है।

<u>कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ :–</u>

कन्या भ्रूण हत्या का सामान्य अर्थ है कि तकनीकी का सहारा लेकर प्रसव से पूर्व ही लिंग परीक्षण करवाकर भ्रूण (कन्या) होने पर उसकी हत्या करवा देना है। कन्या भ्रूण हत्या के बढ़ने से समाज में लिंगानुपात भारी संख्या में गिर रहा है।

<u>भ्रूण हत्या का उद्भव :–</u>

ऐतिहासिक रूप से नारी के समान की विवेचना करने पर ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में भारतीय समाज में नारी का स्वरूप समादरणीय रहा है। यहाँ पहले नारी को लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का रूप मान कर पूजा की जाती रही है। नवरात्रा में कन्याओं का विशेष पूजन, भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है।

भारत में विदेशियों के आक्रमण के दौरान नारियों की स्थिति में बहुत गिरावट आई। मुगलकाल में नारी केवल भोग्या बना दी गई और रूपवती नारी हथियाने के लिए युद्व लड़े जाने लगे। इस प्रकार मध्यकाल में नारी अत्याचारों के कारण बेटियों को बोझ समझा जाने लगा। मुगलों की बुरी नियत के कारण कन्या को जन्म होने के पश्चात ही गला दबाकर या अन्य किसी तरह से मार दिया जाने लगा। जब से विज्ञान ने तकनीकी की और सोनोग्राफी व अन्य परीक्षणों से लिंग परीक्षण द्वारा लिंग का पता चलने लगा है, तब से उसे 4 माह के भ्रूण को गर्भ में ही समाप्त किया जाने लगा।

वर्तमान परिप्रेक्ष में समाज व पुरूषों का दरिन्दगी पूर्ण व्यवहार भी कुछ माता पिता को कन्या भ्रूण हत्या के लिए उकसाता है। क्योंकि आज देश में चंद महिला की कन्याओं के साथ भी बलात्कार जैसी दिल दहलाने वाली घटनाएँ आम हो गयी है।

<u>कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ाना देने वाले कारक :–</u>

भारतीय संस्कृति जीवमात्र की हिंसा को निषेध मानती रही है। ''सर्व धर्म समभाव'' व अनुकूलनशील प्रवृति होने के बावजूद कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं आम घटनाएं है। हमारे देश में अनेक कारण है जो कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देते है–

1. पुरूष प्रधान व पितृसतात्मक समाज की मानसिकता।
2. रूढिवादिता एवं अन्धविश्वासी परम्पराएं।
3. महिला शिक्षा की उपेक्षापूर्ण नीति।
4. दहेज प्रथा का बढ़ता प्रचलन।
5. महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार व हिंसा।
6. भ्रूण हत्या बढ़ती दर के लिए तकनीकी भी जिम्मेदार।

<u>कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय :–</u>

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकारी स्तर और स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा व्यापक प्रयास किये गये है। नारी वर्ग के उत्थान के लिए विभिन्न सृजनात्मक उपयोगी एवं कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर नारी वर्ग में शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक वातावरण को सुदृढ़ किया गया है।

अनुच्छेद 15 में लिंग, जाति, धर्म व जन्म स्थान आदि किसी भी आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 15(5) में नारियों को विशेष सुविधा व सुरक्षा प्रदान की गई है। अनु. 41 में नारी को काम का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, वृद्धावस्था में सुरक्षा की गई है। इसी प्रकार महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विभिन्न अधिकार संविधान द्वारा दिये गये है। इन सभी की सुरक्षा हेतु हमारी सरकार ने निम्न अधिनियम बनाये है–

1. विशेष विवाह अधिनियम–1954–विभिन्न धर्मों व जातियों के लोगों को परस्पर विवाह करने की स्वीकृती।
2. हिन्दू विवाह अधिनियम – 1955
3. वैश्यावृति निवारण अधिनियम–1956
4. दहेज निषेध अधिनियम–1961
5. प्रसूति सुविधा अधिनियम–1961

6. बाल विवाह अधिनियम–1976
7. समान पारिश्रमिक अधिनियम–1976
8. स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम–1986
9. सती प्रथा निषेध अधिनियम–1987
10. राष्ट्रीय महिला आयोग गठन – 1992

कन्या भ्रूण हत्या एक गैर जमानती अपराध है जिसमें माता–पिता डॉक्टर व इससे जुड़े अन्य व्यक्तियों को सजा का प्रावधान है। धारा 312 में यह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को जानबुझकर गर्भपात करवाता है तो ऐसे व्यक्ति को तीन वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

इस प्रकार कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार ने कानूनी प्रावधान किये है। वहीं स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। धर्म गुरूओं द्वारा भी कन्या भ्रूण हत्या को धर्म विरूद्ध घोषित किया गया है।

सारांष :–

अतः इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो शिक्षा व सरकारी कानूनों एवं जन जागृति कार्यक्रमों द्वारा लैंगिक असमानता व कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं का समाधान कर सकते है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो नारी को अपनी वास्तविक क्षमताओं से परिचित करवा सकता है तथा समाज में व्याप्त बालक– बालिकाओं के भेदभाव को समाप्त कर सकता है। इसके अलावा सरकार समय समय पर ऐसी अनेक व्यवस्थाएं करे जिनसे नारियों को आगे बढ़ने में मदद मिले। देश के प्रत्येक क्षेत्र में नारियों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की अनुमति दे। समाज में नारियों व बालिकाओं के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता पर काबू पाने के लिए सरकार नये व प्रभावी कानूनों का निर्माण कर दोषियों को कठोर सजा दिलाकर पीड़ितों को राहत पहुँचाने का कार्य करें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. प्रो. रीता अरोडा, शिक्षा में नव चिन्तन, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
2. खेतान, प्रभा, 2010 अन्या से अनन्या, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
3. चतुर्वेदी, पंकज,2003 आत्मकथा की संस्कृति, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. सिंह, सुधा, 2008 ज्ञान का स्त्रीवादी पाठ, ग्रन्थ शिल्पी प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. प्रो.डॉ. ललिता बी. जोगड़, कन्याा भ्रूण हत्या क्यों? सियाराम प्रेस मलाड, मुम्बई–400064
6. अफजल अहमद, गर्भपात तथ्य, सन्दर्भ और तर्क, एज्यूकेशनल पब्लिसिंग हाऊस, दिल्ली–6
7. डॉ. कुसुम लुनियां, ऊँची उड़ान (नाटक), राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली–110002
8. नटानी,पी.एन.,नटानी,''कन्या भ्रूण हत्या एवं महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा ''बुक एन्कलेव पब्लिकेशन–2007

पत्र–पत्रिका –

1. राजस्थान पत्रिका (परिवार परिशिष्ठ) 20 दिसम्बर, 2006
2. शिविरा पत्रिका, नवम्बर, 2006
3. निरोगधाम (वर्षा–ऋतु अंक, जुलाई, 2007)
4. दैनिक प्रभात किरण, इन्दौर, 14 जुलाई, 2007
5. दैनिक नवज्योति, 23 जुलाई, 2007
6. आऊटलुक साप्ताहिक, 6 अगस्त, 2007

Website :

1. http://en.wikipedia.org/wiki/female_foeticide_in_india
2. http://chauthiduniya.com/2010/12/kanya-bhrun-hatya-ek-badi-samasya,htm
3. http://Hindi.webdunia.com/maternity-care